संख्या-50/2025/208/25-27-सिं0-04/003-58(डब्ल्यू)/2008

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 25 फरवरी, 2025**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर प्रमुख अभियन्ता, आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4357/आई0बी0/टी0 एण्ड पी0/2024-25, दिनांक 17.01.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आय-व्ययक अनुभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष **2024-25** में लेखा शीर्षक **4700** मुख्य सिंचाई एवं **4701** मध्यम सिंचाई के अन्तर्गत टी0 एण्ड पी0 मद में प्राविधानित धनराशि रू0 **4000.00** लाख के सापेक्ष उपलब्ध अवशेष धनराशि से टी0 एण्ड पी0 के कार्यों हेतु रू0 **423.00** लाख (रूपये चार करोड़ तेईस लाख मात्र) की धनराशि निम्न तालिका के स्तम्भ-2 एवं 3 के अनुसार अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रमांक	**संगठन का नाम**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
4701-80-052-03-26 (नवीन सम्पूर्ति)		
1	जल संसाधान, लखनऊ	5.00
2	सरयू परियोजना-2 गोण्डा	8.00
3	नलकूप पूर्व, अयोध्या	30.00
4	रामगंगा, कानपुर	45.00
5	कनहर सिंचाई परियोजना, मीरजापुर	20.00
6	नलकूप मध्य, लखनऊ	115.00
7	बाणसागर, प्रयागराज	40.00
8	पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	15.00
9	राज्य बांध सुरक्षा संगठन, लखनऊ	6.00
10	सूचना प्रणाली संगठन, लखनऊ	75.00
	योग (4701-03-26)	**359.00**
4701-80-052-04-26 (मरम्मत)		
11	सरयू परियोजना-2 गोण्डा	11.00
12	नलकूप मध्य, लखनऊ	8.00
	योग (4701-04-26)	**19.00**
4701-80-052-05-26 (गाड़ी भाड़ा)		
13	जल संसाधान, लखनऊ	3.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

14	सरयू परियोजना-2 गोण्डा	7.00
15	बाणसागर, प्रयागराज	6.00
16	अनुसंधान एवं नियोजन, लखनऊ	2.00
17	राज्य बांध सुरक्षा संगठन, लखनऊ	7.00
18	नलकूप (पश्चिम), मेरठ	20.00
	योग (4701-05-26)	**45.00**
	योग (4701)	**423.00**
	कुल योग (4701)	**423.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित संगठनों को स्तम्भ-3 के अनुसार टी0 एण्ड0 पी0 मद से अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित बी0एम0-8 प्रपत्र पर उपलब्ध कराते हुए आगामी मांग के प्रस्ताव के साथ उक्त धनराशि राजकोष से आहरित कर व्यय किये जाने का प्रमाण कोषवाणी सहित उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे व प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन द्वारा संकलित कर उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत/अनुमोदित प्रयोजन पर ही करने का दायित्व सम्बन्धित संगठन के मुख्य अभियन्ता एवं सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अभियन्ता का होगा।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4701800520300 (नवीन सम्पूर्ति)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	094	4701800520300 नवीन सम्पूर्ति	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	3,59,00,000 (रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख मात्र)
	कुल			**3,59,00,000 (रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520400 (मरम्मत)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	094	4701800520400 मरम्मत	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और	19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			संयंत्र	मात्र)
	कुल			**19,00,000 (रुपये उन्नीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4701800520500 (गाडी भाडा)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	094	4701800520500 गाडी भाडा	26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
	कुल			**45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)**

महायोग	4,23,00,000 (रुपये चार करोड़ तेईस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

रमा कान्त वर्मा

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।

3- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना/यांत्रिक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (जल संसाधन)/(सरयू परियोजना-2)/(नलकूप पूर्व)/(रामगंगा)/(कनहर सिंचाई परियोजना)/(नलकूप मध्य)/(बाणसागर)/(पूर्वी गंगा)/(राज्य बांध सुरक्षा संगठन)/(सूचना प्रणाली संगठन)/(अनुसंधान एवं नियोजन) एवं (नलकूप-पश्चिम), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, गोण्डा, अयोध्या, कानपुर, मीरजापुर, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं मेरठ।

6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

7- वरिष्ठ/ मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ, गोण्डा, अयोध्या, कानपुर, मीरजापुर, प्रयागराज, मुरादाबाद एवं मेरठ ।

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

9- नियोजन अनुभाग-3

10- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

वी0 एन0 तिवारी

उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।